भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AX 554853

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र(नवीनीकरण)

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।
द्वितीय पक्ष श्री भीकम सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह निवासी–निजामी बस्ती टूण्डला, फिरोजाबाद।
वाहन संख्या **UP 80 CT 1703**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग कार्यक्रम** के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण **दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक/नई निविदा** की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान **सामु0स्वा0केन्द्र टूण्डला, फिरोजाबाद** पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग कार्यक्रम** के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगाः–

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध मे अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नही किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाऐं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

• क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

भीकम सिंह

Scanned by CamScanner

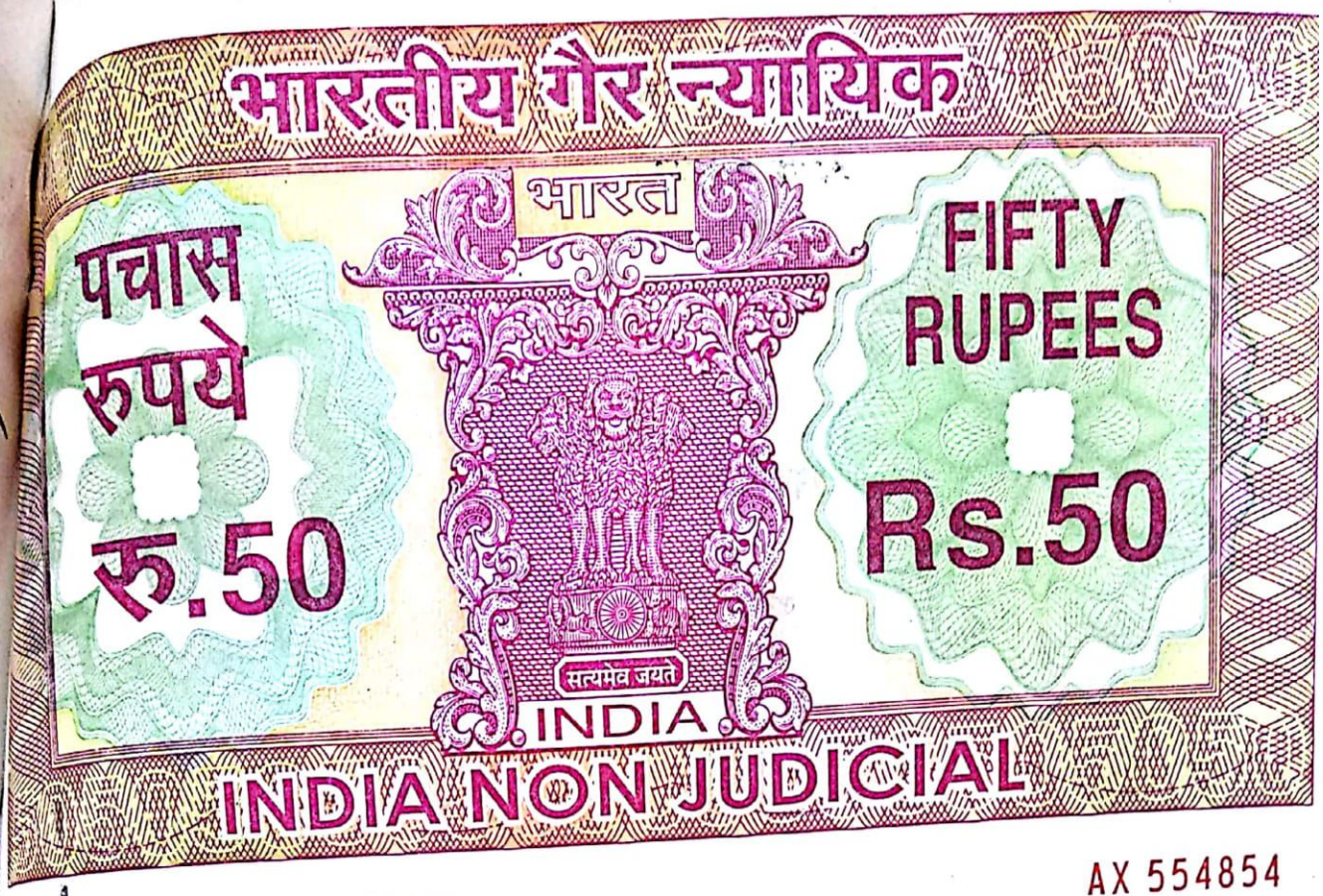

AX 554854

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्व अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृष्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यो मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए.
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईधन पर व्यय/अन्य अनुषागिंक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्वि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

• क्रमशः पेज 03 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जान पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मदोरी नही होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हालत मे होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नही लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नही लाई जायेगीं।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति मे ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नही कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ-साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक **किराये रू 24940/- से कटौती** की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती ह, बिलो का भुगतान रोका जा सकता है तथा एजेन्सी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
- ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी0पी0एस0 सिस्टम का यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनो अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 सिस्टम वाहन मे ना लगवाने पर वाहन का अनबुंध निरस्त कर दिया जायेगा।।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये **20000/- की धरोहर** राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष को **प्रतिमाह 24940/- रू प्रति** माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का होगा।
7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
9. यदि वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा की गयी किसी भी कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।

स्थानः-फिरोजाबाद।

दिनांकः-

गवाह

1.....

2.....

हस्ताक्षर.....
(प्रथम पक्ष)

Chief Medical Officer
Firozabad

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CX 692127

राजबहादुर यादव ... MAR 2016

अनुबन्ध पत्र(नवीनीकरण)

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री अशोक बाबू शर्मा निवासी 2/949 सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

वाहन संख्या **UP 80 CT 6239**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण **दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक/नई निविदा** की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान **प्रा0स्वा0केन्द्र खैरगढ, फिरोजाबाद** पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगाः–

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध मे अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नही किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूशण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाऐं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

• क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाशा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्व अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृश्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यो मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग भुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए.
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग भुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईधन पर व्यय/अन्य अनुशागिंक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्वि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल ूहालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जान `पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मदेारी नही होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल ूहालत मे होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नही लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नही लाई जायेगीं।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति मे ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नही कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ–साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक **किराये रू 24850/– से कटौती** की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तो का उल्लंघन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती ह, बिलो का भुगतान रोका जा सकता है तथा एजेन्सी का `काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

- क्रमशः पेज 03 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
- ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी0पी0एस0 सिस्टम का यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनो अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 सिस्टम वाहन मे ंना लगवाने पर वाहन का अनबुंध निरस्त कर दिया जायेगा।।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये **20000/– की धरोहर** राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।

5. द्वितीय पक्ष को **प्रतिमाह 24850/– रू प्रति** माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।

6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।

7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः–फिरोजाबाद।

दिनांकः–

हस्ताक्षर.....Chief Medical Officer
Firozabad
(प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1.....

2.....

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100 ONE HUNDRED RUPEES

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक/मु0चि0अ0/आर्डर/2016-17/ दिनांक .10.2016

मैसर्स नमन सेल्स कॉरपोरेशन
फिरोजाबाद।

रु. 100

विषयः-10 वें कॉमन रिव्यू मिशन एवं जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद ...
एक-एक बैनर की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

भारत INDIA

उपरोक्त विषयक आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 10 ... की व्यवस्था करना सुनिश्चित

INDIA NON JUDICIAL

एवं जिला स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद की बैठक ...

करें एवं बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

-9 MAY 2015

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CX 812295

अनुबन्ध पत्र(नवीनीकरण)

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।
द्वितीय पक्ष श्री किशन सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी–भीम नगर, फिरोजाबाद।
वाहन संख्या **UP 83 AT 6904**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण **दिनांक** 01.05 **.2016 से 31.03.2017 तक/नई निविदा** की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान **प्रा0स्वा0केन्द्र कोटला, फिरोजाबाद** पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगाः–

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध मे अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नही किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

• क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाशा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्व अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृश्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यो मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग भुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए.
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग भुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईधन पर व्यय/अन्य अनुशागिंक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्वि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल ूहालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जान पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मदेारी नही होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल ूहालत मे होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नही लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नही लाई जायेगीं।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति मे ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नही कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ–साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक **किराये रू 24940/– से कटौती** की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती ह, बिलो का भुगतान रोका जा सकता है तथा एजेन्सी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

- क्रमशः पेज 03 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
- ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी0पी0एस0 सिस्टम का यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनो अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 सिस्टम वाहन मे ना लगवाने पर वाहन का अनबुंध निरस्त कर दिया जायेगा।।

द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये **20000/– की धरोहर** राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष को **प्रतिमाह 24940/– रू प्रति** माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।
7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थानः–फिरोजाबाद।

दिनांकः–

हस्ताक्षर...Chief Medical O...
(प्रथम पक्ष) Firozabad

गवाह

1............ आशीष पाठक

2............ गोरखनाथ

हस्ताक्षर........
(द्वितीय पक्ष)

Scanned by CamScanner

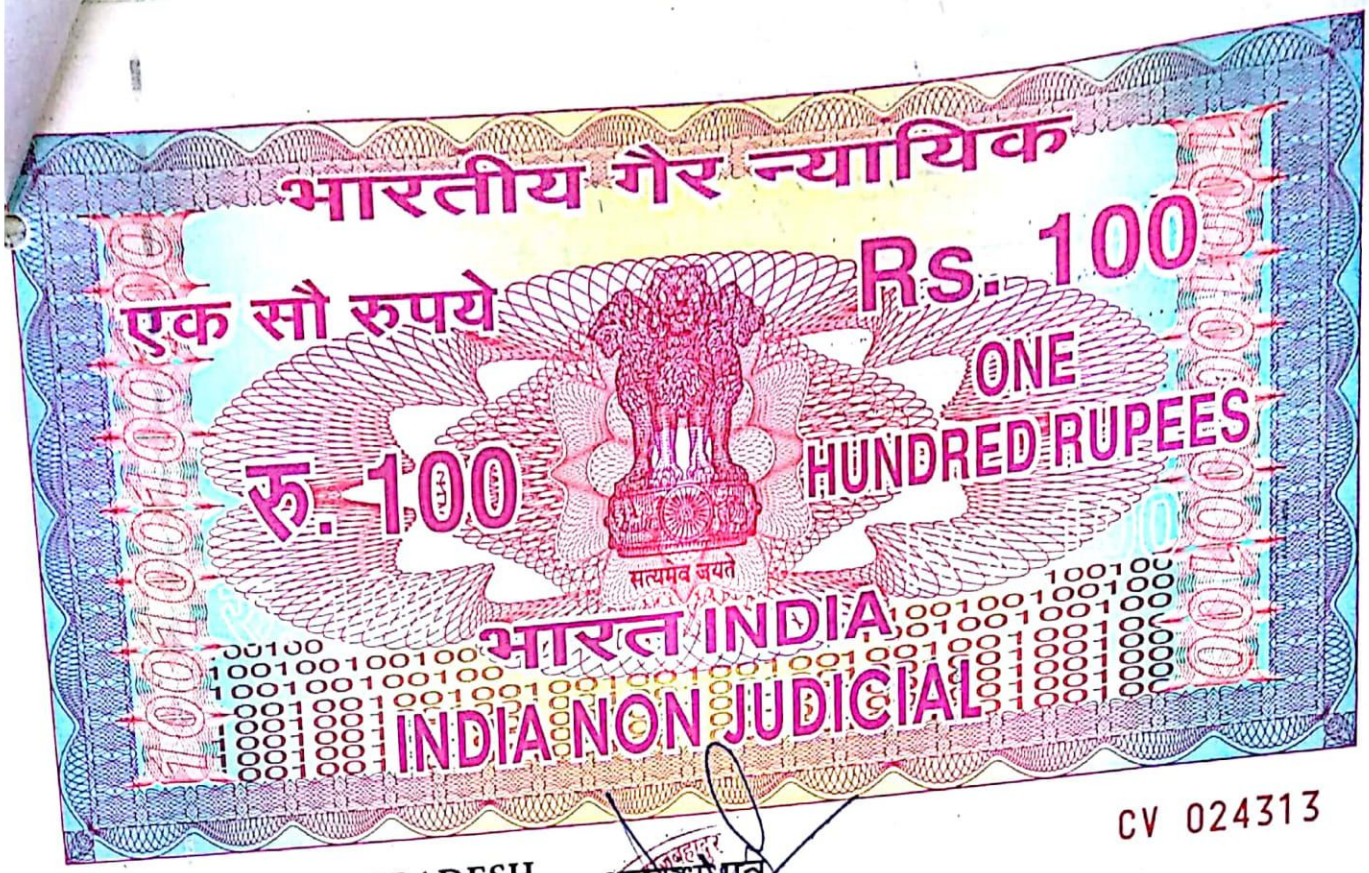

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष — मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष — श्री हृदय मोहन जैन पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र जैन निवासी–205 जैन नगर, फिरोजाबाद।

वाहन संख्या — **UP 83 AT 6816**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण **दिनांक 19.10.2016 से 31.03.2017 तक/नई निविदा** की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद** पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तो को पूरा करेगा:–

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध मे अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नही किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाऐं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्व अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृष्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यो मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए.
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईधन पर व्यय/अन्य अनुषागिंक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्त्रेत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्वि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल ूहालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जान ेपर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मदेारी नही होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल ूहालत मे ं होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नही लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नही लाई जायेगीं।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति मे ं ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नही कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ–साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक **किराये रू 24940/– से कटौती** की जायेगी।
- अनुबधं की शर्तो का उल्लघंन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती ह, बिलो ंका भुगतान रोका जा सकता है तथा एजेन्सी का ेकाली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

क्रमशः पेज 03 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
- ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी0पी0एस0 सिस्टम का यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनेा अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 सिस्टम वाहन मे ंना लगवाने पर वाहन का अनबुंध निरस्त कर दिया जायेगा।।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिलां स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये **20000/– की धरोहर** राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।

5. द्वितीय पक्ष को **प्रतिमाह 24940/– रू प्रति** माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।

6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।

7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

9. यदि वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा की गयी किसी भी कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।

स्थानः–फिरोजाबाद।

दिनांकः–

हस्ताक्षर.....Chief Medical Officer
(प्रथम पक्ष) Firozabad

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

गवाह

1.....Sandeep

2.....विलास

Scanned by CamScanner

CV 000129

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध पत्र (नवीनीकरण)

प्रथम पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव–जिला स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष श्री हृदय मोहन जैन पुत्र स्व0 प्रेमचन्द जैन निवासी–205 जैन नगर, फिरोजाबाद।

वाहन संख्या **UP 83 AT 4768**

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण दिनांक **18.10.2016 से 31.03.2017 तक/नई निविदा** की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद** पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम** के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:–

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध मे अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नही किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाऐं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

• क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्व अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृष्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यो मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए.
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईधन पर व्यय/अन्य अनुषागिंक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्वि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जान पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मदेारी नही होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हालत मे होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नही लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नही लाई जायेगीं।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति मे ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नही कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ–साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक **किराये रू 24940/– से कटौती** की जायेगी।
- अनुबधं की शर्तो का उल्लघंन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती ह, बिलो का भुगतान रोका जा सकता है तथा एजेन्सी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

• क्रमशः पेज 03 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

Scanned by CamScanner

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
- ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी0पी0एस0 सिस्टम का यूजर आई0डी0 व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनो अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 सिस्टम वाहन मे ना लगवाने पर वाहन का अनबुंध निरस्त कर दिया जायेगा।।

2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये **20000/– की धरोहर** राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।

3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।

5. द्वितीय पक्ष को **प्रतिमाह 24940/– रू प्रति** माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।

6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय–समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।

7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

9. यदि वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा की गयी किसी भी कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।

स्थानः–फिरोजाबाद।

दिनांकः–

हस्ताक्षर.....Chief Medical Officer
(प्रथम पक्ष) Firozabad

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)

गवाह
1.....

2.....

Scanned by CamScanner

Status of Vehicle Under M & E for 2017-18

Sr. No.	Name of District	No. of Block	Name of Block	Type of Vehicle	Ragistration No. of Vehicle	Texi Permit No. of vehicle	Contact Period		Name of Agency/Vehicle's owner	Mobile No.	Name of MO/IC	Mobile No.	Tender Rate approved
							From	To					
1	Firozabad	9	Tundla	SWIFT DEZIRE	UP 80 CT 1703	UP/80/102/AITP/2014/763	01.04.2017	Continue	Bheekam Singh	9837312792	Dr. Sanjeev Verma	9639011254	24940
2			Jasrana	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dr. Kuldeep Tomar	9639011264	
3			Ussaini	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dr. Deependra Kumar Yadav	9639011256	
4			Kotla	EECO	UP 83 T 6904	UP/80/102/AITP/2015/1727	01.04.2017	Continue	Kishan Singh	8532961024	Dr.M.K.Mathur	9837026595	24940
5			Khairgarh	OMINI	UP 80 CT 6239	UP/80/102/AITP/2016/1937	01.04.2017	Continue	Rohit Sharma	8923900024	Dr. Rajnikant Sharma	9639011260	24850
6			Dhanpura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dr. Vinit Yadav	9411439513	
7			Madan Pura	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dr. Kapil Yadav	9639013777	
8			Aroan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dr. B.P.Singh	9639011266	
9			Eka	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dr. Manoj Katara	8126184270	
10			CMO Office	EECO	UP 83 AT 4768	UP/80/102/AITP/2015/1299	01.04.2017	Continue	Hirday Mohan Jain	9897604103	Dr.Pratap Singh	963901114	24940
11				OMINI	UP 83 AT 6816	CC/STA/UP/2015/05017	01.04.2017	Continue	Hirday Mohan Jain	9897604103	Dr.Pratap Singh	963901114	24940

Chief Medical Officer
Firozabad